भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 211*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026/24 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।

पीएम-प्रणाम योजना

211*. श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) के अंतर्गत सरकार धनराशि के उपयोग की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार किस प्रकार निगरानी करती है तथा क्या इस संबंध में कोई तृतीय-पक्ष संपरीक्षा कराई जाती है अथवा सत्यापन तंत्र विद्यमान है;
(ख) अब तक प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन निधियों का उपयोग करके आस्तियों का सृजन करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या इस योजना से जैविक अथवा प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाए जाने में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'पीएम-प्रणाम योजना' के संबंध में श्री दिनेशभाई मकवाणा तथा श्री बिभु प्रसाद तराई द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 211* के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क) से (ग): पीएम-प्रणाम स्कीम के तहत, पिछले तीन वर्षों में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की औसत खपत की तुलना में, किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में इनकी खपत में कमी लाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, जो बचाई गई उर्वरक सब्सिडी के 50% के समतुल्य है। कुल अनुदान में से 95% राज्य को को आवंटित किया जाएगा, जबकि शेष 5% का उपयोग निगरानी, आईईसी, अनुसंधान, क्षमता निर्माण और पुरस्कार उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

पीएम-प्रणाम स्कीम को रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी लाने से होने वाली उर्वरक सब्सिडी की बचत से वित्त पोषित किया जाता है। पीएम-प्रणाम स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अनुदान के उपयोग के साथ कार्य योजनाएं प्रस्तुत करना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बाद के वर्षों के लिए अनुदान पिछले अनुदानों के उचित उपयोग पर आधारित होते हैं। संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को आज तक कोई प्रोत्साहन राशि वितरित नहीं की गई है।

(घ): पीएम-प्रणाम के तहत, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निम्नलिखित पहलों के माध्यम से वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:-

i. पर्यावरण के अनुकूल कृषि के लिए ऑर्गेनिक, जैव और नैनो उर्वरकों जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
ii. प्राकृतिक और ऑर्गेनिक कृषि पद्धतियों के लिए सहायता देना।
iii. सूक्ष्म-सिंचाई और शून्य जुताई जैसी संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
iv. मृदा उर्वरता बनाए रखने और पौधों के लिए पोषक तत्वों की इष्टतम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) पद्धतियों को अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहित करना।
v. ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीईएनईआर) तथा प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ), जैसी भारत सरकार की मौजूदा स्कीमों को बढ़ावा देना और उनका लाभ उठाना।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि पीकेवीवाई स्कीम के तहत (31.12.2025 तक) 18.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है और इसकी शुरुआत (2015-16) से अब तक 33.93 लाख किसान इस स्कीम से लाभान्वित हुए हैं। एमओवीसीडीएनईआर स्कीम के तहत (31.12.2025 तक), 2.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है और इसकी शुरुआत (2015-16) से 2.70 लाख किसान इस स्कीम से लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) स्कीम के तहत (09.02.2026 तक), 8.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है और 17.45 लाख किसानों का नामांकन किया गया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) स्कीम के तहत कवर किए गए क्षेत्र और नामांकित किसानों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण (09.02.2026 तक) **अनुलग्नक** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक

'पीएम-प्रणाम योजना' के संबंध में दिनांक 13.02.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.211* के उत्तर के भाग (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	किसानों का नामांकन	शामिल किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	250	100
2	आंध्र प्रदेश	407373	272847.47
3	अरुणाचल प्रदेश	453	130.68
4	असम	3721	2581.68
5	बिहार	50008	21253.51
6	छत्तीसगढ़	55061	23574.91
7	दादरा और नगर हवेली एण्ड दमन और दीव	0	0
8	दिल्ली	375	150
9	गोवा	1545	607.33
10	गुजरात	86862	42155.09
11	हरियाणा	10325	9098.19
12	हिमाचल प्रदेश	61752	21981.62
13	जम्मू और कश्मीर	19387	6619.25
14	झारखंड	11201	4498.67
15	कर्नाटक	122731	65072.1
16	केरल	16530	6162.97
17	लक्षद्वीप	563	208.86
18	मध्य प्रदेश	142676	82933.59
19	महाराष्ट्र	136085	37901.21
20	मणिपुर	6316	2680.87
21	मेघालय	5902	2066.62
22	मिजोरम	13016	8361.46
23	नागालैंड	7212	3158.72
24	ओडिशा	60415	24044.91
25	पुदुचेरी	747	249.25
26	पंजाब	5104	1768.24
27	राजस्थान	206492	90242.67
28	तमिलनाडु	5819	2613.23
29	तेलंगाना	61173	35774.89
30	त्रिपुरा	13604	5218.94
31	उत्तर प्रदेश	210774	73732.32
32	उत्तराखंड	22481	9522.03
33	पश्चिम बंगाल	0	0
कुल		**1745953**	**857311.28**